फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री कानसिंह चौहान पुत्र श्री डाऊसिंह चौहान ग्राम समेलिया तहसील भीम
– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी–अति. जिला कलक्टर, राजसमंद – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 14/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.04.2022 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला रसद अधिकारी, राजसमंद की होने के कारण प्रार्थी अपीलार्थी का आर.टी.आई. आवेदन जरिये पत्रांकः 1280–81 दिनांक 30.12.2021 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में अंतरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को भी प्रति पृष्ठाकिंत की जाकर जरिये डाक प्रेषित करने का न्यायालय को अनुरोध करते हुए प्रति जिला रसद अधिकारी, राजसमंद एवं अपीलांट श्री कानसिंह को भी पृष्ठाकिंत की जाने का उल्लेख किया गया है। जिला रसद अधिकारी, राजसमंद द्वारा पत्रांकः 584 दिनांक 25.02.2022 से जवाब प्रस्तुत अवगत कराया कि अपीलांट श्री कानसिंह चौहान द्वारा बिन्दु सं. 01 से 04 तक चाही गई सूचना पत्रांकः रसद/आरटीआई/सूचना/2021–22/150 दिनांक 28.01.2022 की निर्धारित अवधि में प्रार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु तैयार करवाई गई एवं दिनांक 02.02.2022 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थी को सूचना भिजवाई गई। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना जिला रसद अधिकारी से संबंधित होने से धारा 6(3) के तहत आवेदन जरिये पत्रांकः 1280–81 दिनांक 20.12.2021 से जिला रसद अधिकारी, राजसमंद को हस्तान्तरित किया गया। जिला रसद अधिकारी, राजसमंद द्वारा पत्रांकः 584 दिनांक 25.02.2022 से इस कार्यालय को प्रस्तुत जवाब की प्रति अपीलांट श्री कानसिंह पुत्र श्री डाऊसिंह चौहान नि. समेलिया को भी पृष्ठाकंन किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलांट एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद एवं जिला रसद अधिकारी, राजसमंद को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर